# न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी जिला कलक्टर बाड़मेर

**सूचना अधिकार अपील / 116 / 2022**

**अपीलांट तुलसाराम चौधरी पुत्र मोडाराम चौधरी**
**निवासी वार्ड नंबर 36 हनवंत कॉलोनी गांधीपुरा बालोतरा**

**बनाम**

**राज्य लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर**

## आदेश

दिनांक : 21.10.2022

अपीलार्थी तुलसाराम चौधरी पुत्र मोडाराम चौधरी निवासी वार्ड नंबर 36 हनवंत कॉलोनी गांधीपुरा बालोतरा ने यह प्रथम अपील उत्तरदाता अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय में दिनांक 14.10.2022 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना–पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक/ऑनलाईन द्वारा प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र की प्रति एवं शुल्क रूपये 10/– पोस्टल ऑर्डर संख्या 942421 दिनांक 06.09.2022 की प्रति संलग्न की गई है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोडेंट द्वारा निर्धारित सुनवाई तिथि को टिप्पणी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना के संबंध में कार्यालय के पत्र क्रमांक 1535 दिनांक 11.10.2022 के द्वारा नियत शुल्क अदायगी पर वांछित सूचना उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में अवगत करवाया जा चुका है, बावजूद सूचना अपीलार्थी द्वारा नियत शुल्क अदा नहीं करने से सूचना दिया जाना सम्भव नहीं हुआ है। लिहाजा अपील दाखिर दफ्तर फरमाई जावे।

हमने अपीलार्थी की अपील, रेस्पोडेंट की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं [illegible] लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलांट को जारी पत्राचार का अवलोकन किया। [illegible] सूचना अधिकारी के जवाब एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के अवलोकन से पाया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में निर्धारित शुल्क बाबत प्रार्थी को अवगत करवाया जा चुका है और अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना हेतु नियत शुल्क जमा नहीं करवाया है। अतः रेस्पोडेंट के जवाब का अपील मीमो के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन एवं विवेचन उपरांत अपीलार्थी की यह अपील सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपीलार्थी की यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर [illegible] एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक 21.10.2022 को [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 15:32:33 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर